International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

बाल भिक्षावृत्ति और बाल अधिकार: गरिमापूर्ण जीवन हेतु शिक्षा व स्वास्थ्य की संवैधानिक अवधारणा एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

रोहित सिंह यादव[1], प्रेम चन्द्र[2]

[1,2]स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ (यू .पी)

सार सारांश

भारत में बच्चों द्वारा भीख मांगने की समस्या एक गंभीर सामाजिक-कानूनी समस्या है, क्योंकि यह न केवल बच्चे के विकास और प्रगति में बाधा डालती है, बल्कि बच्चों को सम्मान के साथ जीने के मूल अधिकार से भी वंचित करती है। भीख मांगने वाले बच्चों के पास शैक्षिक और चिकित्सा सुविधाओं, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार का अभाव होता है। इसके अलावा, भारत का संविधान अनुच्छेद **21, 23** और **24** के माध्यम से यह स्पष्ट करता है कि भारत में बच्चों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए शोषण से सुरक्षा प्रदान की गई है। साथ ही, राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से, बच्चों के सर्वोत्तम हित में उनकी सुरक्षा करना राज्य का एक दायित्व निर्धारित किया गया है। हालाँकि, इन प्रयासों के बावजूद, बच्चों द्वारा भीख मांगने की समस्या पूरे भारत में व्यापक रूप से बनी हुई है, और यह इस समस्या से निपटने में कानून और प्रशासन की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करती है। यह शोध-पत्र एक कानूनी दृष्टिकोण से बच्चों द्वारा भीख मांगने की अवधारणा, कारणों और प्रकृति को समझने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त, यह शोध-पत्र इस बात का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का प्रयास करता है कि बच्चों द्वारा भीख मांगने की समस्या से निपटने में मौजूदा कानूनी ढाँचा किस हद तक प्रभावी रहा है। अंत में, यह शोध-पत्र बच्चों द्वारा भीख मांगने की समस्या को रोकने के लिए विभिन्न व्यावहारिक और कानूनी उपायों की अनुशंसा करता है।

शब्दबीज: बाल भिक्षावृत्ति, बाल अधिकार, भारतीय संविधान, गरिमापूर्ण जीवन, अनुच्छेद **21**, राज्य की दायित्वशीलता

प्रस्तावना

बच्चों का दूसरों से भीख माँगना भारतीय समाज को प्रभावित करने वाली एक और बहुआयामी समस्या है, जो गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक अन्याय और प्रशासन की उपेक्षा जैसे कारणों से बनी हुई है। सड़कों, मंदिरों, रेलवे स्टेशनों आदि जगहों पर बच्चों का भीख माँगना न केवल हमारी सामाजिक चेतना को झकझोरता है, बल्कि संविधान में निहित अपनी जिम्मेदारियों के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता की असलियत को भी उजागर करता है। बचपन जीवन का वह चरण होता है जब कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से विकसित होता है। यदि इस महत्वपूर्ण दौर में, शिक्षा, उचित चिकित्सा देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने के बजाय, किसी बच्चे का मन भीख माँगने जैसी नकारात्मक चीज़ों से प्रभावित हो जाता है, तो उसका जीवन एक नकारात्मक मोड़ ले लेता है। हालांकि भारतीय संविधान बच्चों की सुरक्षा को मान्यता देता है, लेकिन वह उन्हें केवल सुरक्षा के मोहताज लोगों के बजाय, स्वतंत्र अधिकारों के धारक के रूप में देखता है। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार केवल जीवित रहने तक ही सीमित नहीं है; यह व्यक्तियों की गरिमा, शिक्षा और विकास के सभी पहलुओं को शामिल करता है। इसी तरह, अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी और ज़बरदस्ती मज़दूरी के खिलाफ अधिकार, कई रूपों में बच्चों द्वारा भीख मांगने की समस्या पर सीधे तौर पर लागू होता है। अनुच्छेद 24 बच्चों को ऐसे कामों में लगाने पर रोक लगाता है जो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, जिसका उद्देश्य बच्चों को शोषण से बचाना है। इसके अलावा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से, संविधान राज्य पर यह कर्तव्य डालता है कि वह बच्चों के भोलेपन का दुरुपयोग न करे और उन्हें स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करे। इन प्रावधानों के बावजूद, बच्चों द्वारा भीख मांगने की समस्या समाज में आदर्शों और वास्तविकताओं के बीच मौजूद भारी अंतर का एक संकेत है। इन परिस्थितियों को देखते हुए, यह शोध पत्र बच्चों द्वारा भीख मांगने की समस्या का एक कानूनी विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या वर्तमान संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान बच्चों द्वारा भीख मांगने की समस्या को रोकने के लिए पर्याप्त हैं, और इस संबंध में अपने दायित्वों को पूरा करने में सरकार कितनी प्रभावी है।

बाल भिक्षावृत्ति : अवधारणा, स्वरूप एवं कारण

बाल भिक्षावृत्ति से आशय उस सामाजिक अवस्था से है जिसमें अल्पायु बालक एवं बालिकाएँ अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सार्वजनिक स्थानों पर भीख माँगने के लिए विवश होते हैं। यह स्थिति स्वैच्छिक न होकर प्रायः सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक विवशताओं का परिणाम होती है। बाल्यावस्था, जो शिक्षा, संरक्षण

और सर्वांगीण विकास की अवस्था मानी जाती है, बाल भिक्षावृत्ति के कारण शोषण, अपमान और असुरक्षा का पर्याय बन जाती है। यह केवल दया या सहानुभूति का विषय नहीं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक और विधिक समस्या है, जो बाल अधिकारों तथा मानव गरिमा के मूल सिद्धांतों का प्रत्यक्ष उल्लंघन करती है।बाल भिक्षावृत्ति का स्वरूप बहुआयामी है। कुछ बच्चे व्यक्तिगत रूप से भीख माँगते हुए दिखाई देते हैं, जबकि अनेक मामलों में वे अपने माता-पिता, अभिभावकों या संगठित गिरोहों के नियंत्रण में होते हैं। धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, चौराहों और बाजारों में बच्चों का भीख माँगना सामान्य दृश्य बन चुका है। कई बार बच्चों को जानबूझकर गंदे कपड़े पहनाए जाते हैं, बीमार या अपंग दिखाया जाता है, अथवा भावनात्मक अपील के माध्यम से सहानुभूति उत्पन्न कर भीख मँगवाई जाती है। यह स्वरूप बाल शोषण का संगठित और अमानवीय रूप है, जिसमें बच्चों का उपयोग आय के साधन के रूप में किया जाता है।बाल भिक्षावृत्ति का एक प्रमुख स्वरूप जबरन भिक्षावृत्ति का है, जिसमें बच्चों को शारीरिक या मानसिक दबाव के माध्यम से भीख माँगने के लिए बाध्य किया जाता है। कुछ मामलों में बच्चों का अपहरण कर उन्हें इस कार्य में लगाया जाता है, जो मानव तस्करी से भी जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त मौसमी या परिस्थितिजन्य भिक्षावृत्ति भी देखने को मिलती है, जहाँ प्राकृतिक आपदाओं, पारिवारिक संकट या बेरोजगारी के कारण बच्चे अस्थायी रूप से भीख माँगने लगते हैं। यह स्वरूप दर्शाता है कि बाल भिक्षावृत्ति केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि संरचनात्मक सामाजिक विफलता का परिणाम है।बाल भिक्षावृत्ति के कारणों में गरीबी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आर्थिक अभाव के कारण अनेक परिवार अपने बच्चों को शिक्षा या कौशल विकास के स्थान पर भीख माँगने के लिए प्रेरित या बाध्य करते हैं। गरीबी के साथ-साथ बेरोजगारी, निम्न आय, महँगाई और सामाजिक असमानता इस समस्या को और अधिक गहरा बना देती है। ऐसे परिवारों में बच्चों को आर्थिक बोझ समझा जाता है, जिससे उनका शोषण सामान्य हो जाता है।

अशिक्षा भी बाल भिक्षावृत्ति का एक प्रमुख कारण है। अशिक्षित माता-पिता शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाते और बच्चों के दीर्घकालिक विकास के स्थान पर तात्कालिक आय को प्राथमिकता देते हैं। शिक्षा से वंचित बच्चे स्वयं भी अपने अधिकारों और संभावनाओं से अनभिज्ञ रहते हैं, जिससे वे आसानी से भिक्षावृत्ति के चक्र में फँस जाते हैं। शिक्षा के अभाव में यह समस्या पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है।पारिवारिक विघटन और सामाजिक संकट भी बाल भिक्षावृत्ति को जन्म देते हैं। माता-पिता की मृत्यु, तलाक, घरेलू हिंसा, नशाखोरी या बीमारी के कारण बच्चे संरक्षण से वंचित हो जाते हैं। अनाथ या बेसहारा बच्चे अक्सर भीख माँगने को विवश होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन भी इस समस्या को बढ़ाता है, क्योंकि प्रवासी परिवारों को शहरों में रोजगार और आवास की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है।सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं की कमजोरी भी बाल भिक्षावृत्ति के लिए उत्तरदायी है। जब सरकारी योजनाएँ प्रभावी रूप से लागू नहीं होतीं या लक्षित वर्ग तक नहीं

पहुँचतीं, तब गरीब परिवारों के पास जीविकोपार्जन के सीमित विकल्प रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त समाज की उदासीनता और भीख देने की प्रवृत्ति भी अप्रत्यक्ष रूप से बाल भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहित करती है।

बाल भिक्षावृत्ति के प्रमुख कारण

बाल भिक्षावृत्ति के मूल में अनेक सामाजिक, आर्थिक और संरचनात्मक कारण निहित हैं, जो परस्पर एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन कारणों में गरीबी सबसे प्रमुख है, क्योंकि आर्थिक अभाव की स्थिति में परिवार अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हो जाते हैं और बच्चों को भीख माँगने के लिए विवश करते हैं। अत्यधिक निर्धनता, आय के स्थायी स्रोतों का अभाव और जीवन-यापन की बढ़ती लागत परिवारों को इस अमानवीय विकल्प की ओर धकेल देती है, जहाँ बच्चों को शिक्षा या संरक्षण के बजाय आय के साधन के रूप में देखा जाने लगता है।

अशिक्षा और शिक्षा तक सीमित पहुँच भी बाल भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण कारण है। अशिक्षित माता-पिता शिक्षा के दीर्घकालिक महत्व को नहीं समझ पाते और तात्कालिक आर्थिक लाभ को प्राथमिकता देते हैं। वहीं, विद्यालयों की अनुपलब्धता, गुणवत्ता की कमी, ड्रॉपआउट की समस्या और बालकों के प्रति शिक्षा व्यवस्था की उदासीनता बच्चों को शिक्षा से दूर कर देती है, जिससे वे भिक्षावृत्ति के दुष्चक्र में फँस जाते हैं। शिक्षा से वंचित रहना बच्चों को अपने अधिकारों और संभावनाओं से भी वंचित कर देता है।पारिवारिक विघटन बाल भिक्षावृत्ति का एक अन्य गंभीर कारण है। माता-पिता की मृत्यु, तलाक, परित्याग, घरेलू हिंसा, नशाखोरी और गंभीर बीमारी जैसी परिस्थितियाँ बच्चों को असुरक्षित और बेसहारा बना देती हैं। ऐसे परिवारों में बच्चों को भावनात्मक और आर्थिक संरक्षण नहीं मिल पाता, जिसके परिणामस्वरूप वे सड़कों पर जीवन यापन और भीख माँगने के लिए विवश हो जाते हैं। अनाथ और सड़क पर रहने वाले बच्चे विशेष रूप से इस समस्या के प्रति संवेदनशील होते हैं।

ग्रामीण-शहरी पलायन भी बाल भिक्षावृत्ति को बढ़ाने वाला एक प्रमुख कारक है। रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करने वाले परिवार अक्सर शहरी गरीबी, बेरोजगारी और आवास संकट का सामना करते हैं। इस संक्रमण काल में बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश नहीं मिल पाता और वे परिवार की आजीविका में सहायक बनने के लिए भीख माँगने लगते हैं। यह स्थिति बच्चों को संगठित भिक्षावृत्ति और अपराध के नेटवर्क के प्रति भी संवेदनशील बना देती है।सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन न होना भी बाल भिक्षावृत्ति का एक महत्त्वपूर्ण कारण है। जब सरकारी योजनाएँ लक्षित वर्ग तक नहीं पहुँचतीं या उनमें भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता होती है, तब गरीब परिवारों के पास जीविकोपार्जन के सीमित विकल्प रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त पुनर्वास, संरक्षण और परामर्श सेवाओं की कमी भी बच्चों को भिक्षावृत्ति से बाहर लाने में बाधा उत्पन्न करती है।

संगठित गिरोहों और मानव तस्करी की भूमिका भी बाल भिक्षावृत्ति के विस्तार में अत्यंत गंभीर है। कई मामलों में बच्चों का अपहरण, खरीद-फरोख्त या बहला-फुसलाकर उन्हें भीख माँगने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे

गिरोह बच्चों के शारीरिक और मानसिक शोषण के माध्यम से अधिक आय अर्जित करते हैं, जिससे बाल भिक्षावृत्ति एक संगठित आपराधिक गतिविधि का रूप ले लेती है।अंततः समाज की उदासीनता और भीख देने की प्रवृत्ति भी बाल भिक्षावृत्ति को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देती है। जब समाज बच्चों को भीख देकर समस्या का समाधान समझता है, तो यह प्रथा स्थायी रूप से बनी रहती है। सामाजिक जागरूकता के अभाव में बाल भिक्षावृत्ति को एक अपराध या अधिकारों के उल्लंघन के रूप में नहीं, बल्कि दया के विषय के रूप में देखा जाता है, जिससे इसका उन्मूलन और अधिक कठिन हो जाता है।

संवैधानिक परिप्रेक्ष्य

भारतीय संविधान बालकों को संरक्षण का विषय ही नहीं, बल्कि अधिकारों के धारक के रूप में मान्यता प्रदान करता है। बाल भिक्षावृत्ति का प्रश्न संविधान के मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों दोनों से गहराई से जुड़ा हुआ है।

(क) अनुच्छेद 21 : जीवन और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार

अनुच्छेद **21** के अंतर्गत प्रदत्त जीवन का अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि इसमें गरिमा, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के सभी आवश्यक तत्व सम्मिलित हैं। बाल भिक्षावृत्ति बच्चों को इन सभी आयामों से वंचित करती है, जिससे यह अनुच्छेद **21** का प्रत्यक्ष उल्लंघन बन जाती है।

(ख) अनुच्छेद 23 : शोषण का निषेध

अनुच्छेद **23** मानव तस्करी, बेगार और बलात श्रम पर रोक लगाता है। संगठित बाल भिक्षावृत्ति के मामलों में बच्चों को बलपूर्वक या धोखे से भीख माँगने के लिए बाध्य किया जाता है, जो इस अनुच्छेद के अंतर्गत निषिद्ध है।

(ग) अनुच्छेद 24 : बाल श्रम का निषेध

अनुच्छेद **24** के अनुसार **14** वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता। भिक्षावृत्ति, जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए घातक है, इस अनुच्छेद की भावना के प्रतिकूल है।

(घ) नीति निर्देशक तत्व

अनुच्छेद **39(e)** और **39(f)** राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि बच्चों की कोमल आयु का दुरुपयोग न हो और उन्हें स्वस्थ विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ। अनुच्छेद **45** शिक्षा के अधिकार को सुदृढ़ करता है, जो बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन का महत्वपूर्ण साधन है।

बाल भिक्षावृत्ति से संबंधित वैधानिक ढांचा

बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु भारत में अनेक वैधानिक प्रावधान मौजूद हैं, जिनका उद्देश्य बच्चों को शोषण, उपेक्षा और अमानवीय परिस्थितियों से संरक्षण प्रदान करना है। यद्यपि किसी एक अधिनियम में "बाल भिक्षावृत्ति" को पृथक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, तथापि विभिन्न कानूनों के सामूहिक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि विधायिका ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस कुप्रथा पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है।

(क) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम में केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह अधिनियम "संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक" की श्रेणी में उन बच्चों को सम्मिलित करता है, जिन्हें भिक्षावृत्ति के लिए उपयोग किया जा रहा हो। अधिनियम के अंतर्गत ऐसे बच्चों को रेस्क्यू कर पुनर्वास, शिक्षा और देखभाल की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त, बालकों को भीख माँगने के लिए बाध्य करने वाले व्यक्तियों के लिए दंडात्मक प्रावधान भी किए गए हैं।

यह अधिनियम बाल भिक्षावृत्ति को केवल दंड की समस्या नहीं, बल्कि पुनर्वास और सुधार की प्रक्रिया के रूप में देखता है, जो इसके मानवाधिकार-आधारित दृष्टिकोण को दर्शाता है।

(ख) बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 2016 (संशोधित)

यद्यपि यह अधिनियम मुख्यतः बाल श्रम से संबंधित है, तथापि इसका उद्देश्य बच्चों को ऐसे कार्यों से बचाना है जो उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के लिए हानिकारक हों। भिक्षावृत्ति, जो बच्चों को शारीरिक जोखिम और मानसिक आघात में डालती है, इस अधिनियम की भावना के प्रतिकूल है। इस प्रकार, यह अधिनियम अप्रत्यक्ष रूप से बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम में सहायक है।

(ग) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में भिक्षावृत्ति से संबंधित प्रावधान

भारतीय न्याय संहिता, 2023 में भिक्षावृत्ति को स्वतंत्र अपराध के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु संहिता के अनेक प्रावधान ऐसे हैं जो भिक्षावृत्ति से जुड़े शोषणकारी, अपहरण, तस्करी एवं संगठित आपराधिक कृत्यों को दंडनीय बनाते हैं। नई संहिता का दृष्टिकोण यह है कि भिक्षावृत्ति स्वयं में सामाजिक-आर्थिक समस्या हो सकती है, किंतु जब यह किसी व्यक्ति, विशेषकर बच्चों और कमजोर वर्गों के शोषण का माध्यम बनती है, तब यह गंभीर आपराधिक आचरण की श्रेणी में आती है।भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 (जो पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता की धारा 363A के समतुल्य है) भिक्षावृत्ति से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित प्रावधान है। इस धारा के अंतर्गत यदि किसी नाबालिग का अपहरण या अवैध प्रतिरोधन इस उद्देश्य से किया जाता है कि उससे भिक्षावृत्ति करवाई जाए, तो वह एक गंभीर अपराध माना जाता है। यह प्रावधान उन संगठित गिरोहों को दंडित करने के लिए बनाया गया है जो बच्चों को जबरन या छलपूर्वक भिक्षावृत्ति में धकेलते हैं। धारा 137 यह स्पष्ट करती है कि भिक्षावृत्ति के लिए किसी

व्यक्ति को साधन के रूप में उपयोग करना कानूनन अस्वीकार्य है।इसके अतिरिक्त, धारा **143** (मानव तस्करी) भिक्षावृत्ति से जुड़े मामलों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस धारा के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को शोषण के उद्देश्य से भर्ती किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, आश्रय दिया जाता है या नियंत्रित किया जाता है, तो वह मानव तस्करी का अपराध होगा। "शोषण" की परिभाषा व्यापक है और इसमें जबरन श्रम, दासता जैसी प्रथाएँ तथा अमानवीय गतिविधियाँ सम्मिलित हैं, जिनमें संगठित भिक्षावृत्ति को भी शामिल माना जाता है। इस प्रकार, भिक्षावृत्ति यदि शोषण के रूप में कराई जाती है, तो वह मानव तस्करी के दायरे में आ जाती है।भारतीय न्याय संहिता की धारा **144** (गंभीर मानव तस्करी) तब लागू होती है जब तस्करी का शिकार बच्चा, महिला या अन्य कमजोर वर्ग का व्यक्ति हो। भिक्षावृत्ति के लिए बच्चों या दिव्यांग व्यक्तियों की तस्करी इस धारा के अंतर्गत अत्यंत गंभीर अपराध मानी जाती है, जिसके लिए कठोर कारावास का प्रावधान किया गया है। यह धारा भिक्षावृत्ति को एक संगठित और अमानवीय अपराध के रूप में मान्यता देती है।संहिता की धारा **111** (संगठित अपराध) भी भिक्षावृत्ति से जुड़े मामलों में लागू हो सकती है। जब भिक्षावृत्ति किसी संगठित आपराधिक गिरोह द्वारा नियमित आय के साधन के रूप में कराई जाती है और इसमें अनेक व्यक्तियों का शोषण होता है, तब यह केवल सामाजिक समस्या न रहकर संगठित अपराध बन जाती है। ऐसे मामलों में धारा **111** के अंतर्गत कठोर दंड का प्रावधान है।इसके साथ ही, भारतीय न्याय संहिता में शारीरिक या मानसिक क्रूरता, अवैध निरोधन तथा शोषण से संबंधित सामान्य दंडात्मक प्रावधान भी भिक्षावृत्ति से जुड़े मामलों पर लागू होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को भय, हिंसा या मानसिक दबाव के माध्यम से भिक्षावृत्ति के लिए बाध्य किया जाता है, तो वह संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इस दृष्टि से भिक्षावृत्ति को तब तक सहानुभूति के साथ देखा जा सकता है, जब तक वह मजबूरी का परिणाम हो; किंतु जब यह शोषण का साधन बन जाती है, तब कानून कठोर रुख अपनाता है।समग्र रूप से भारतीय न्याय संहिता, **2023** भिक्षावृत्ति को प्रत्यक्ष रूप से अपराध घोषित किए बिना, उससे जुड़े सभी शोषणकारी, तस्करी एवं संगठित आपराधिक कृत्यों को दंड के दायरे में लाती है। यह संहिता भिक्षावृत्ति को कानून-व्यवस्था की समस्या के बजाय मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के संदर्भ में देखती है और यह सुनिश्चित करती है कि भिक्षावृत्ति की आड़ में किसी भी प्रकार का शोषण दंडनीय हो। इस प्रकार, भारतीय न्याय संहिता भिक्षावृत्ति से संबंधित अपराधों के नियंत्रण हेतु एक सुदृढ़ और आधुनिक विधिक ढांचा प्रदान करती है।

बाल भिक्षावृत्ति से संबंधित प्रमुख न्यायिक निर्णय

1. People's Union for Democratic Rights v. Union of India

इस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बालकों के शोषण और जबरन श्रम के प्रश्न पर विचार किया। यद्यपि यह मामला प्रत्यक्ष रूप से बाल भिक्षावृत्ति पर नहीं था, लेकिन न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद

23 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का शोषण, चाहे वह आर्थिक मजबूरी के कारण ही क्यों न हो, निषिद्ध है। न्यायालय ने कहा कि बच्चों को उनकी उम्र और क्षमता के विपरीत कार्यों में लगाना, जिसमें भिक्षावृत्ति भी सम्मिलित है, संवैधानिक उल्लंघन है। यह निर्णय बाल भिक्षावृत्ति को शोषण के व्यापक ढांचे में रखने का आधार प्रदान करता है।

2. M.C. Mehta v. State of Tamil Nadu

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बाल श्रम और बच्चों के अधिकारों पर विस्तार से विचार किया। न्यायालय ने कहा कि बच्चों को शिक्षा और गरिमापूर्ण जीवन से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। बाल भिक्षावृत्ति के संदर्भ में यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि भिक्षावृत्ति में संलग्न बच्चे शिक्षा से वंचित रहते हैं और उनका शारीरिक-मानसिक विकास बाधित होता है। न्यायालय ने राज्य को बच्चों के पुनर्वास और शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी, जो बाल भिक्षावृत्ति के मामलों में भी समान रूप से लागू होती है।

3. Bachpan Bachao Andolan v. Union of India

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चों की तस्करी, शोषण और पुनर्वास से संबंधित व्यापक दिशा-निर्देश दिए। न्यायालय ने माना कि बच्चों को संगठित गिरोहों द्वारा भिक्षावृत्ति, श्रम या अन्य शोषणकारी गतिविधियों में धकेलना मानव तस्करी के अंतर्गत आता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे बच्चे अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित हैं और उनके लिए किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण एवं पुनर्वास सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

4. Court on Its Own Motion v. State of NCT of Delhi

इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी में बढ़ती संगठित भिक्षावृत्ति, विशेषकर बच्चों के उपयोग, पर संज्ञान लिया। न्यायालय ने कहा कि बच्चों को भिक्षावृत्ति में धकेलना उनके मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया कि ऐसे बच्चों को रेस्क्यू कर बाल कल्याण समितियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।

5. Somdutt & Ors. v. Govt. of NCT of Delhi

इस मामले में भिक्षुक गृहों **(Beggars' Homes)** की दयनीय स्थिति को चुनौती दी गई थी, जहाँ बच्चों को भी रखा गया था। न्यायालय ने माना कि भिक्षुक गृहों में बच्चों को रखना उनके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार **(Article 21)** के विरुद्ध है। अदालत ने निर्देश दिया कि बच्चों को ऐसे गृहों से हटाकर किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संस्थानों में भेजा जाए।

6. Ram Lakhan v. State of Uttar Pradesh

इस मामले में यह प्रश्न उठा कि बच्चों से जबरन भीख मंगवाना किस श्रेणी का अपराध है। उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि किसी बच्चे को बल, भय या लालच से भिक्षावृत्ति के लिए बाध्य किया जाता है, तो यह अपहरण, अवैध निरोधन और शोषण की श्रेणी में आएगा तथा दंडनीय होगा। यह निर्णय ग्रामीण और शहरी भारत में बाल भिक्षावृत्ति के मामलों पर विशेष रूप से प्रासंगिक है।

7. State v. Mohd. Salim

इस आपराधिक मामले में अभियुक्तों पर बच्चों को अपंग बनाकर भिक्षावृत्ति कराने का आरोप था। न्यायालय ने इसे मानवता के विरुद्ध अपराध मानते हुए कठोर दंड दिया और कहा कि बच्चों को भिक्षावृत्ति का साधन बनाना समाज और कानून दोनों के विरुद्ध है।

राज्य की भूमिका एवं समकालीन चुनौतियाँ

बाल भिक्षावृत्ति के उन्मूलन में राज्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय संविधान राज्य को बच्चों के संरक्षण और विकास का दायित्व सौंपता है। राज्य केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे प्रभावी क्रियान्वयन, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्संरचना की जिम्मेदारी भी निभानी होती है। व्यवहार में यह देखा जाता है कि विधिक प्रावधानों और प्रशासनिक प्रयासों के बावजूद बाल भिक्षावृत्ति की समस्या व्यापक बनी हुई है।राज्य द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएँ, जैसे शिक्षा का अधिकार, मध्यान्ह भोजन योजना, बाल संरक्षण सेवाएँ तथा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, बाल भिक्षावृत्ति को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करने का प्रयास करती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा और पोषण से जोड़ना है, ताकि वे भिक्षावृत्ति जैसी कुप्रथाओं से दूर रह सकें। तथापि, इन योजनाओं की पहुँच और प्रभावशीलता सीमित होने के कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। कानूनों की उपस्थिति के बावजूद उनके अनुपालन में ढिलाई, बाल भिक्षावृत्ति की निरंतरता का प्रमुख कारण है।पुलिस, बाल कल्याण समितियों और सामाजिक कल्याण विभागों के बीच समन्वय की कमी प्रभावी कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करती है।रेस्क्यू किए गए बच्चों के लिए दीर्घकालिक पुनर्वास और शिक्षा की समुचित व्यवस्था का अभाव एक गंभीर समस्या है।समाज द्वारा दी जाने वाली भीख अनजाने में इस समस्या को बनाए रखती है।

सुझाव एवं निष्कर्ष

बाल भिक्षावृत्ति की समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं–बाल भिक्षावृत्ति को परिभाषित करने वाला पृथक विधिक ढांचा विकसित किया जाना चाहिए।संगठित बाल भिक्षावृत्ति में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दंड सुनिश्चित किया जाना चाहिए।बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास से जोड़ने की दीर्घकालिक रणनीति अपनाई जानी चाहिए।न्यायालयों द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी कर प्रशासनिक जवाबदेही तय की जानी चाहिए।नागरिकों को यह समझाया जाना चाहिए कि भीख देना समाधान नहीं, बल्कि समस्या को बढ़ावा देता है।

बाल भिक्षावृत्ति भारतीय समाज के समक्ष एक गंभीर सामाजिक-कानूनी चुनौती के रूप में विद्यमान है। यह समस्या न केवल बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, बल्कि संविधान में निहित सामाजिक न्याय की अवधारणा को भी कमजोर करती है। यद्यपि भारतीय संविधान, विधायिका और न्यायपालिका ने बच्चों के

संरक्षण हेतु व्यापक ढांचा विकसित किया है, तथापि व्यवहार में इन प्रावधानों की प्रभावशीलता सीमित रही है।यह शोध-पत्र यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि बाल भिक्षावृत्ति का उन्मूलन केवल विधिक उपायों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए राज्य, समाज और न्यायपालिका के समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। यदि संविधान में निहित आदर्शों को व्यवहार में उतारा जाए, तो बाल भिक्षावृत्ति जैसी अमानवीय कुप्रथा का प्रभावी रूप से अंत किया जा सकता है और बच्चों को एक गरिमापूर्ण जीवन प्रदान किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015
2. बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम
3. People's Union for Democratic Rights v. Union of India
4. M.C. Mehta v. State of Tamil Nadu
5. विधि आयोग की रिपोर्टें
6. बाल अधिकार पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय (UNCRC)
7. बचपन बचाओ आंदोलन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया
8. शर्मा, आर. पी., भारतीय समाज में बाल भिक्षावृत्ति: कारण और समाधान, सामाजिक शोध प्रकाशन, जयपुर।
9. भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय।
10. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत में बाल अधिकारों की स्थिति, एनएचआरसी प्रकाशन, नई दिल्ली।